



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्र. 1855/परीक्षा/प्रवेश/2020

रायपुर, दिनांक 30/09/2020

प्रति,

प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।

विषय :- महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि में वृद्धि करने बाबत।

संदर्भ :- पत्र क्र. एफ-95/2017/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30.09.2020


विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित करना है, कि छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2020-21 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के बिन्दु 2.2 में संशोधन करते हुए महाविद्यालयों में 15.10.2020 प्राचार्य की अनुमति से प्रवेश दिया जा रहा है। समस्त महाविद्यालय अपने महाविद्यालयों में दिनांक 30.09.2020 तक प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के वेब-पोर्टल पर दिनांक 02.10.2020 को समय दोपहर 12.00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

महाविद्यालयों में प्राचार्य की अनुमति से प्रवेश तिथि का विवरण निम्नानुसार है:-

1	ऑनलाईन प्रवेश पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि	03/10/2020 से 11/10/2020 तक
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट जारी किये जाने की तिथि	12/10/2020
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	12/10/2020 से 15/10/2020 तक

- टीप:-1. स्नातक के अन्य कक्षाओं तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाईन प्रवेश शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शन के अनुरूप होगा।
2. प्राचार्य, दिनांक 15/10/2020 तक प्रवेश निर्देशिका की कंडिका 12 (1) ग के तहत रिक्त सीटों में प्रवेश देंगे, यदि कोई ऑनलाईन प्रवेश लेने से वंचित रह गया तो उसे ऑफलाईन पद्धति से प्रवेश दे सकेंगे।

आदेशानुसार,



30.9.20
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 30/09/2020

पृ.क्र. 1856/परीक्षा/प्रवेश/2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
2. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
3. सचिव, उच्च शिक्षा महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल-नगर,
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल-नगर,
5. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, प0R0शु.0वि.वि0, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय एवं अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
8. जनसूचना अधिकारी, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।
9. संपादक, समस्त स्थानीय समाचार-पत्र रायपुर/अमर-किरण, दुर्ग/सवेरा-संकेत, राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया उक्त पुनर्परीक्षा की समय-सारणी को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. संचालक, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, राँची (झारखंड) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।


उप कुलसचिव (परीक्षा)